न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–541 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88 आरटीए

1. गुरमेल कौर पत्नी गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. भोला सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम्

1. तुलसी देवी पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. राजाराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. भोला सिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. बलकरण सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
7. राजीव बेनीवाल पुत्र सुशील कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री नरेश मण्डा – वादी
2. श्री संजय धारणियां – प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. श्री ओमप्रकाश शर्मा – प्रतिवादी सं. 7
4. राजपैरोकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 20.12.2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 2 बीजीपी के खाता सं. 30 / 42 वादी सं. 1 के नाम से 1.278 है. रकबा वादी सं. 2 के नाम से 0.013 है. रकबा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का विभाजन कर लिया है। वादीगण अपने नाम से दर्ज कृषि भूमि का खाता विभाजित करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 2 में दर्ज कृषि भूमि का काश्त की सुविधानुसार व भविष्य के विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से घरू तौर पर विभाजन कर लिया है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है व खाता में केवल मात्र नाम विलोपित होने से रह गये जिस कारण खाता विवादित हो गया जिसे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

यह है कि चक 2 बीजीपी खाता सं. 30 / 42 में वादी सं. 1 के नाम 1.278 है. व वादी सं. 0.013 है. कृषि भूमि का खाता विभाजित करवाने व प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम कलमजन करवाने के वादीगण अधिकारी व दावेदार है।

वादी सं. 1 गुरमेल कोर पत्नी गुरबचन सिंह 1.278 है. वादी सं. 2 भोलासिंह 0.013 है. को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण चक 2 बीजीपी खाता सं. 30 / 42 प.न. 216 / 142 मु.न. 8 किला 10 / 0.051 है. प.न. 215 / 142 मु.न. 9 4 / 0.051, 6 / 0.177, 7 / 0.253, 14 / 0.253, 15 / 0.253, 17 / 0.253

यह है कि वादीगण मौका पर वाद पत्र की चरण सं. 5 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है व रकम राज वाटरमेंट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा काहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादीगण का दावा की चरण सं. 5 अनुसार कृषि भूमि की विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गय यही वादी का कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता संजय धारणिया ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 5 की और से राजीनामा निम्न प्रकार से पेश किया कि

1 **वादी सं. 1 गुरमेल कौर पत्नी गुरबचन सिंह 0.898 है. वादी सं. भोलासिंह पुत्र गुरबचन सिंह** 0.013 है को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण

चक 2 बीजीपी खाता सं. 30/42

प.न.	मु.न.	किला न.
216/142	8	10/0.051 है.
215/142	9	4/0.051, 6/0.177,7/0.253, 14/0.190 उतर दिशा, 15/0.189 उतर दिशा

प्रतिवादी 1 तुलछीदेवी पत्नी सुशील कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि

चक 2 बीजीपी खाता सं. 30/42

प.न.	मु.न.	किला न.
216/142	8	11/0.253 है.

प्रतिवादी 2 राजाराम पुत्र बीरबल राम के हक व हिस्सा की कृषि भूमि

चक 2 बीजीपी खाता सं. 30/42

प.न.	मु.न.	किला न.
213/142	11	15/0.253 है.

प्रतिवादी 3 भोला सिंह पुत्र रणधीर सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि

चक 2 बीजीपी खाता सं. 30/42

प.न.	मु.न.	किला न.
213/142	11	6/0.253 है.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 7 जरिये आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी वादी वकील के नो ऑब्जेक्शन होने पर प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया प्रति. स. 7 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश ने वकालतनामा व जवाब प्रतिदावा पेश किया जिसमें चक 2 बीजीपी के खाता सं. 30/42 में वादी सं. 1 से बैयशुदा प.न. 215/142 मु.न. 9 किला 14/0.063 दक्षिणी पासा, 15/0.064 दक्षिणी पासा, 17/.253 कुल 0.380 है नहरी रकबा । वादी वकील के निवेदन पर जवाबुल जवाब बंद किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5, 7 सुनी गई। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 7 वाद पत्र/राजीनामा/प्रतिदावा से स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 5 व राजीनामा अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 2 बीजीपी के खाता सं. 30/42 में वादी गुरमेल कौर को 0.898 है. व वादी सं. 2 भोलासिंह को 0.013 है., प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है, प्रतिवादी सं. 3 को 0.253 व प्रतिवादी सं. 7 को 0.380 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 541/2022

1. गुरमेल कौर पत्नी गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. भोला सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम्

1. तुलसी देवी पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. राजाराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. भोला सिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. बलकरण सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
7. राजीव बेनीवाल पुत्र सुशील कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणिया वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 2 बीजीपी के खाता सं. 30/42 में वादी गुरमेल कौर को 0.898 है. व वादी सं. 2 भोलासिंह को 0.013 है., प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है, प्रतिवादी सं. 3 को 0.253 व प्रतिवादी सं. 7 को 0.380 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज......×......नल......×........मुब्लिक......×........निल......×........बाबत्......×........निल......×........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया